

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, अयोध्या

उपस्थित: रणंजय कुमार वर्मा एच०जे०एस०

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या: 237/2026

[रजिस्ट्रेशन नम्बर: 496/2026]

[CNR No. UPFZ010013082026]

1. पंचम यादव पुत्र राम बरन यादव,
2. श्रीमती निर्मला देवी पत्नी पंचम यादव,

निवासीगण ग्राम हरौरा बाजार चकिया, थाना कूरेभार, जनपद सुल्तानपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्तगण

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश

..... विपक्षी

1. प्रार्थी/अभियुक्तगण की तरफ से जमानत का यह प्रथम प्रार्थनापत्र संख्या 237/2026, परिवाद संख्या 41/2013, अन्तर्गत धारा 498 ए, 323, 504, 506 भा०दं०सं० एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना कोतवाली बीकापुर, जनपद अयोध्या के मुकदमे में प्रस्तुत है।
2. प्रार्थी/अभियुक्तगण अन्तरिम जमानत पर हैं तथा मजिस्ट्रेट न्यायालय में आत्मसमर्पण के पश्चात् न्यायिक अभिरक्षा में है।
3. प्रार्थी/अभियुक्तगण के अनुसार उनका यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में उनकी तरफ से कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र न तो प्रस्तुत है, न विचाराधीन है और न ही निस्तारित हुआ है।
4. प्रार्थी/अभियुक्तगण की तरफ से यह तर्क किया गया कि वे निर्दोष हैं। वे परिवादिनी के सास, ससुर हैं। वे पूर्व में जमानत पर थे। उनकी अनुपस्थिति के कारण उनके विरुद्ध आदेशिकायें निर्गत हुईं। वे जानबूझकर अनुपस्थित नहीं हुये हैं और न ही अपनी जमानत का दुरुपयोग किया है। वे जमानत देने के लिये तैयार हैं। अतः उन्हें जमानत पर अवमुक्त किया जाए।
5. विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक द्वारा प्रार्थी/अभियुक्तगण की जमानत का विरोध किया गया।
6. सुना एवं सम्यक् अभिलेखों का परिशीलन किया।

7. पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण उपरोक्त अभियोग में पूर्व में जमानत पर थे। उनकी अनुपस्थिति के कारण उसके विरुद्ध गैर जमानतीय अधिपत्र एवं धारा 82 दं०प्र०सं० की आदेशिकायें निर्गत होना कहा गया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण के अनुसार वे जानबूझकर न्यायालय में अनुपस्थित नहीं हुये हैं। सूचना मिलने पर उनके द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया है। प्रस्तुत मामला परिवाद पर आधारित एवं वैवाहिक विवाद का होना अभिकथित है। प्रार्थी/अभियुक्तगण अन्तरिम जमानत पर हैं। उनके द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरुपयोग नहीं किया गया है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये बिना गुण अवगुण पर टिप्पणी किये जमानत का संतोषजनक आधार है। जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत जमानत का यह प्रथम प्रार्थनापत्र संख्या 237/2026, परिवाद संख्या 41/2013, अन्तर्गत धारा 498 ए, 323, 504, 506 भा०दं०सं० एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना कोतवाली बीकापुर, जनपद अयोध्या में स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्तगण प्रत्येक को उनके द्वारा अपराध उपरोक्त में रुपये 50,000-50,000 (पचास-पचास हजार रुपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि के दो-दो प्रतिभूगण सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अधीन प्रस्तुत करने पर दौरान विचारण जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

दिनांक: 05.06.2026

(रणंजय कुमार वर्मा)

सत्र न्यायाधीश

अयोध्या

JO CODE: UP1908